governing recuitment, layouts and Trade Union Act etc.;

(b) if so, the details thereof alongwith the reaction of Trade Unions on the proposed chenges;

(c) how far Government have moved in setting up National Labour Commission regarding the present status of the proposal; and

(d) whether Indian Labour Conference 'inter-alia' discussed the proposal and decisions taken thereon agenda-wise?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) and (b) Review of Labour Laws and labour policies etc. is a continuous process and amendments of the existing legislation and enactment of new legislation is undertaken depending on the requirements. Major changes in the labour policies are carried out only after discussion in the Tripartite Fora where representatives of Trade Unions are also present.

(c) As regards the setting up of National Labour Commission, inter-Ministerial consultations are over and the proposal is before the Government for a final decision.

(d) The question of setting up Second National Labour Commission was discussed in the 34th Session of the Standing Labour Committee on 19th September, 1997 and it was advised that a High-Powered Committee may be set up if the formation of the Second Commission on Labour was not possible. The Indian Labour Conference in the 34th Session held in December, 1997, inter-alia, recommended creation of an appropriate mechanism for review, simplification and rationalisation of labour laws in a time-bound manner.

बीड़ी मजदूरों के लिए अस्पताल

861. श्री जनार्दन यादव: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बिहार में बीड़ी बनाने के बहुत से कारखाने हैं लेकिन बीड़ी बनाने वाले मजदूरों के लिए कोई अस्पताल नहीं है जिसके कारण बीड़ी मजदूर श्वास की बीमारी से पीड़ित होकर मर जाते हैं;

(ख) अब तक कितने बीड़ी मजदूर श्वास की बीमारी से मरे हैं; और

(ग) क्या बीड़ी मजदूरों को निर्धारित मजदूरी से कम मजदूरी दी जाती है?

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया): (क) जी, नहीं। कर्मा (बिहार) में बीड़ी कर्मकारों के लिए एक 30 बिस्तर वाला टी०बी० अस्पताल है। कर्मा में एक और 100 बिस्तर वाला अस्पताल है जो माईका खान श्रम कल्याण निधि के अंतर्गत स्थापित किया गया है। यह भी बीड़ी कर्मकारों और उनके परिवारों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त बीड़ी कर्मकारों के कल्याण के लिए बिहार में बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के अंतर्गत 22 औषधालय भी खोले गये हैं।

(ख) गत पांच वर्ष में सांस सम्बन्धी बीमारियों के कारण मृत्यु के 31 मामलों की जानकारी मिली है।

(ग) न्यूनतम मजदूरी को निर्धारित करने और उसका भुगतान प्रवर्तित करने के लिए समुचित प्राधिकारी, राज्य सरकारों को यह जांच करने के लिए कहा गया है कि उनके द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी बीड़ी कर्मकारों को प्रदान की जा रही है अथवा नहीं।

ESIC Hospitals in the Country

862. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) the ndumber of 50-bed ESIC hospitals in the country;

(b) the number of 50-bed ESIC hospitals proposed to be set-up in 1998-99;

(c) the cities or towns selected for such new ESIC hospitals all over the country; and

(d) the criteria laid down for the selection of new sites for 50-bed hospitals?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) 32.

(b) to (d) Under the ESI Scheme, the ESI Corporation constructs 4-hospital beds per one thousand Insured Persons. Accordingly a new 50-beded ESI hospital is constructed at a place having 12,000 or more insured persons. As ESI medical care is being administered by the State Governments, new sites for ESI hospitals are generally selected on the recommendation of the State Governments. There are 13 fifty beded ESI hospitals already at various stages of construction. These hospitals are located at Tirupati, Nizamabad, Chandigarh, Jamnagar, Shahabad, Belgaum, Nagda, Bediwadi, Rourkela, Mandi, Gobindgarh, Bhilwara, Pali and Tiruchirapally. There is no proposal to set up a new 50-bed ESI hospital in 1998-99.

Implementation of Plantation Labour Act

863. SHRI DAWA LAMA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are aware that throughout the country, the owners of tea estates do not follow the provisions of Plantation Labour Act; and

(b) if so, the State-wise break-up of number of cases where action has been taken against the, so far?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) and (b) The Plantations Labour Act, 1951 is administered by the State Governments. According to the reviews on the working of the Act for the year 1995 compiled by Labour Bureau, during 1995, 2570 inspections were made, 229 prosecutions were launched and 122 convictions were obtained.

The Plantations Labour Act, 1951 is applicable for Tea, Coffee, Rubber and Cinchona Plantations. The State Government may apply it to any other Plantations. The enforcement Machinery in various States/Union Trritories ensures by inspecting the Plantations that there is no infringement of various provisions of the Plantations Labour Act, 1951.

बंधुआ मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय खान मजदूर यूनियन द्वारा ज्ञापन दिया जाना

864. प्रो० रामगोपाल यादव:
श्री ईश दत्त यादव:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंधुआ मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय खान मजदूर यूनियन से संबद्ध सैकड़ों श्रमिकों ने अगस्त के अंतिम सप्ताह में प्रदर्शन के पश्चात् प्रधान मंत्री को ज्ञापन दिया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन के माध्यम से श्रमिकों द्वारा सरकार से की गई मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उनकी मांग पर क्या निर्णय लिया?

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया): (क) जी, हां।

(ख) बंधुआ मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय खान मजदूर संघ के सदस्यों द्वारा 20 अगस्त, 1998 को प्रधान मंत्री के कार्यालय को प्रस्तुत किए गए ज्ञापन में, अन्य बातों के साथ-साथ, बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किए जाने, हरियाणा राज्य जिसके लिए श्रम मंत्रालय संबद्ध है, में खानों में कार्य करने वाले कामगारों के लिए पीने के पानी शैक्षणिक एवं चिकित्सा संबंधी सुविधाओं तथा सुरक्षा के प्रावधान संबंधी मांगें शामिल थीं।

(ग) बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत, केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकारों को 50:50 के आधार पर बराबर-बराबर सहायता प्रदान करती है। उन क्षेत्रों, जिनमें श्रम कानूनों को कार्यान्वित न किए जाने की घटनाओं की सूचना मिलती है, के नियमित दौरे करने तथा संबंधित श्रम कानूनों के अंतर्गत त्वरित उपाचारात्मक उपाय करने के लिए केन्द्रीय और हरियाणा राज्य सरकार के अधिकारियों को शामिल करके एक कृतक बल का गठन किया गया है।